I/62190/2024

आज़ादी का अमृत महोत्सव

**भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA**
**क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/**
**Sub-Office, Shimla of Regional Office, Chandigarh**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**Ministry of Environment, Forest and Climate Change**
**सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड**
**CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood**
**शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001**
**Shimla, Himachal Pradesh – 171001**

सत्यमेव जयते

ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.0177-2658285,
फैक्स/Fax: 0177-2657517

**दिनांक :01.2024**

सेवा में,

**अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)**
हिमाचल प्रदेश सरकार
आमर्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
**(E-mail: forestsecy-hp@nic.in)**

**विषय:** **Diversion of 8.0678 ha of forest land in favour of M/s Friends Him Energies, C/o Near Happy Sr. Sec. School, Jail Road, Gurdaspur, for the construction of Suil-IV SHEP, within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/HYD/35437/2018).**

सन्दर्भः **(i) Online Proposal No. FP/HP/HYD/35437/2018.**
**(ii) MoM of 48th REC of RONCZ, Dehradun dtd- 24.07.2020.**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

**2. इस** प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 24.07.2020 को हुई बैठक में संस्तुति एवम् प्रस्ताव पर **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली** की स्वीकृति के उपरांत **Diversion of 8.0678 ha of forest land in favour of M/s Friends Him Energies, C/o Near Happy Sr. Sec. School, Jail Road, Gurdaspur, for the construction of Suil-IV SHEP, within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, H.P. हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage I Approval)** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः-

**(A) शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-**

**i.** प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए|

**ii.** राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।

**iii.** WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, **8.0678** हेक्टेयर की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

**iv.** प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।

**v.** पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी ।

**vi.** प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है | अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।


Generated from eOffice by RAVI KUMAR, RK(Steno-D), STENOGRAPHER GRADE D, Regional Office-SHIMLA on 15/01/2024 12:41 PM

**vii. Carrying Capacity Studies (CCS) and Cumulative Impact Assessment Studies(CIS) as per the OM NoJ-11013/I/2013-IA-I dated 28th May, 2013 shall be carried out, except for the first Hydro-electric Project in a river basin where such study CCS and CIS need not be carried as mentioned in the aforesaid OM, and based on the outcome of such study the 'final' approval shall be granted.**

**viii.** प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "**इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है**" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

**ix. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा |**

**(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-**

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा **17.0 हे0** वन भूमि **Block/Compartment/Survey No. UPF Panoga Block, Range-Chakoli, Churah Forest Division, Tehsil-Matun, District-Chamba** में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
   (ख) **प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।**
4. **राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी** ।
5. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. **Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect shall be submitted**.
8. **Wild Life Management Plan (WLMP) along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 2.0 % of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 2.0 % of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect may also be submitted.**
9. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो, अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain करें।


Generated from eOffice by RAVI KUMAR, RK(Steno-D), STENOGRAPHER GRADE D, Regional Office-SHIMLA on 15/01/2024 12:41 PM

I/62190/2024

**10.** प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **परिवेश मे अपलोड किए गए संख्या** से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

**11.** आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

**12.** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 के प्रावधानों के अनुसार , प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।

**13.** केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

**14.** वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

**15.** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

**16.** संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार , प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

**17.** परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

**18.** वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

**19.** केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

**20.** The State Government/User Agency shall ensure adherence to stipulated E-flow as recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Hon'ble NGT, MoEF & CC, Govt. of India and any other regulatory authority for the conservation and development of aquatic flora and fauna.

**21.** Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/State Government may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

**22.** State Govt. shall ensure that the user agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force, as applicable to the project.

**23.** The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry, regularly.

**24.** प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। **मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।**

**25.** यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।

**26.** इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवंम) संवर्धन) नियम, 2023** में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.16** के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

3. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| **केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा |**

**यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है|**

भवदीय,
ह o/-
**(राजा राम सिंह)**
**उप महानिरीक्षक वन (के.)**


Generated from eOffice by RAVI KUMAR, RK(Steno-D), STENOGRAPHER GRADE D, Regional Office-SHIMLA on 15/01/2024 12:41 PM

I/62190/2024

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः**

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (E-mail: rohq-mefcc@gov.in).
2. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
3. Friends Him Energies, C/O Near Happy Ser. Se. School, Jail Road, Gurdaspur-143521 (E-mail: fhegroups2015@gmail.com)



Generated from eOffice by RAVI KUMAR, RK(Steno-D), STENOGRAPHER GRADE D, Regional Office-SHIMLA on 15/01/2024 12:41 PM